न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी—अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 04/2024

अपीलांट — बनाम — रेस्पोडेन्ट

अपीलांट	रेस्पोडेन्ट
1. पप्पूराम पुत्र लिछाराम जाट **2. मुल्तानाराम पुत्र लिछाराम जाट** (निवासी देराजनगर, तह0 लोहावट जिला फलौदी)	**राज0 सरकार जरिये तहसीलदार लोहावट जिला फलौदी**

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी लोहावट आदेश कमांक 815 दिनांक 18.8.23

उपस्थिति —
1. श्री रोशनलाल वकील अपीलांट्स
2. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से

निर्णय

दिनांक 03.05.2024

प्रस्तुत अपील प्रकरण के तथ्य मुख्यतः इस प्रकार से है कि उपखण्ड अधिकारी लोहावट के अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.08.2023 के द्वारा तहसीलदार लोहावट के पत्र कमांक 145 दिनांक 25.05.2023 द्वारा प्रस्तावित राजस्व ग्राम देराजनगर के उल्लेखित खसरान की भूमि में रास्ते में उपयोग हो रही उल्लेखित हैक्टर भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता परिवर्तित करने एवं नक्शा (लटठा) ट्रेस में दुरस्ती एवं राजस्व रेकर्ड में विद्यमान कदीमी रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जो न्यायहित में स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी। दौरान सुनवाई वकील अपीलांट्स ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि अपीलाधीन आदेश में अपीलांट्स के खसरा नम्बर 1 की भूमि में से 0.1591 हैक्टर भूमि को गै0मु0 रास्ता घोषित किया गया है। मौके पर रास्ता उपलब्ध नही है व अपीलांट को अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व नोटिस एवं सुनवाई का अवसर नही दिया गया है तथा न ही अपीलांट्स द्वारा अपने खेत में से रास्ते के लिए सहमति दी गई थी। अपीलाधीन आदेश की आड में प्रत्यर्थी राजस्व

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

रेकर्ड में परिवर्तन कर अपीलांट्स को मौके से बेदखल करने को आमदा है। जिससे मौके पर विवाद उत्पन्न होने व अनावश्यक मुकदमेंबाजी की संभावना है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया गया कि फर्द मौका दिनांक 22.5.23 के अनुसार राजस्व नक्शे को मजमे आम ग्राम देराजनगर में उपस्थित मौतबिरान के समक्ष पुराने समय से प्रचलित रास्तों के कटान बाबत प्रदर्शित किया गया। आम राय एवं प्रचलित रास्तों के भौतिक सत्यापन के बाद वर्तमान में चल रहे रास्ते को कटान बाबत राजस्व अभियान में प्रस्तावित किया गया। जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार किया गया है, जो कि उचित है। तथापि प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मतः निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त कार्यवाही तहसीलदार लोहावट के आवेदन पर की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित खातेदारों को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर नही दिया जाना पाया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.08.2023 को अपीलांट्स के ख0नं0 1 की रकबा भूमि तक निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट्स एवं सभी संबंधित खातेदारों को नोटिस जारी कर उनकी उपस्थिति में मौका निरीक्षण एवं मौका फर्द तैयार करवाकर, यदि मौके पर रास्ता चालू है तो उसे बंद किये बिना, उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 03 मई, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

03.05.2

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर